

आदेश

पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर मुख्य आरक्षी ना0पु0/112241894 उदयवीर सिंह को प्रशासनिक आधार पर कमि0 गाजियाबाद से जनपद गाजीपुर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या-एएसपी-(ई-1)-(प्रशासनिक)-612/2025 दिनांक 30.09.2025 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

उक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर (दिनांक 09.10.2025 तक) अवश्य कार्यमुक्त कर दिया जाये। विलम्ब से कार्यमुक्त करने के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किये जाते हैं तो आपके कार्यालय के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। उक्त कर्मी के संबंध में पूर्व में मुख्यालय/जोन/परिक्षेत्र स्तर से निर्गत सभी स्थानांतरण/सम्बद्धता आदेश निरस्त समझे जायेंगे।

DGP HQRS UP LKW



DG-IV-STHA-612-2025/1433 DT 30-09-2025

(राहुल मिश्रा)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ-226002

संख्या:डीजी-चार-स्था0-(612)/2025/1433

दिनांक:सितम्बर 30, 2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर को उनके पत्र संख्या:पीएफ-01/2024 दिनांक 25.07.2025 एवं पत्र संख्या:व-201/2025 दिनांक 28.08.2025 के संदर्भ में।
2. पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त मुख्य आरक्षी को निर्धारित तिथि के अन्दर स्थानांतरित स्थान हेतु कार्यमुक्त करते हुए प्रस्थान कराये जाने की तिथि से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
3. पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजीपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त मुख्य आरक्षी के जनपद में आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या:डीजी-चार-स्था0(निर्देश)/2017/900 दिनांक 22.06.2017 में प्रशासनिक स्थानान्तरण शीर्षक के अन्तर्गत निहित निर्देशानुसार उक्त मुख्य आरक्षी को जनपद में आगमन करने की तिथि से 02 वर्ष के पूर्व स्थानांतरित न किया जाए।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या:डीजी-आठ-94 (15-गौ0बु0नगर)/2021/7746 दिनांक 31.05.2025 के संदर्भ में।
3. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।